झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
अष्टम् (बजट)सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 21.01.2017 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	सर्वश्री राम कुमार पाहन, राज सिन्हा एवं श्री मनीष जयसवाल स0वि0स0	राँची जिलान्तर्गत अनगड़ा प्रखण्ड स्थित गेतलसूद बांध का निर्माण 1966 ई0 में किया गया है। उक्त बांध के निर्माण में अनगड़ा एवं औरमांझी प्रखण्ड के ग्राम गेतलसूद रामदगा, मशनिया, महेशपुर, सिरका, साल्हन, लालगंज सिमलिया, बारीडीह, हतवाल इत्यादि अनेक गाँव के लोग विस्थापित हुए है। विस्थापित गाँवों में विभाग द्वारा अबतक कोई मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराया गया है। मांग को लेकर लगातार आन्दोलन किया जा रहा है लेकिन कोई सुनवाई नही हो रहा है। बांध से विस्थापित हुए ऐसे अनेक रैयत है जिनका जमीन अधिग्रहण किया गया लेकिन अबतक न मुआवजा मिला और न विभाग द्वारा नौकरी या अन्य कोई लाभ दिया गया है जिससे लोगो में भूखमरी जैसे स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्षेत्र में ऐसे कई मामले है जिन्हे अबतक किसी तरह का कोई लाभ नही मिला है, उनमें से एक मामला यह भी है भू-अर्जन वाद संख्या-6/66-67 के द्वारा मौजा- हतवाल में गेतलसूद बांध के लिए खाता सं0-29 एवं 28 प्लॉट न0-1165/1, 1165/2, 1158, 1162 एवं 677, 642, 843/1-2,917 आदि से लगभग 7 एकड़ 37 डिसमील जमीन अधिग्रहण किया गया लेकिन रैयत स्व0 पुचईया कुर्मी के बंशजों को अबतक मुआवजा का भूगतान नही किया गया है।	जल संसाधन

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		इनके वंशज श्री राजेन्द्र कुमार सिंचाई विभाग में कई बार पत्राचार किया गया है फिर भी अधिग्रहित भूमि के एवज में मुआवजा/नौकरी नहीं मिल पाया है। अतएव गेतलसूद बांध से विस्थापित हुए गाँवों में विभाग द्वारा मूलभूत सुविधा मुहैया कराने तथा अबतक मुआवजा/नौकरी से वंचित विस्थापित परिवारों को यथाशीघ्र मुआवजा भूगतान एवं नियोजित करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं।	
02-	सर्वश्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, राधाकृष्ण किशोर एवं श्री बादल स0वि0स0	पलामू जिलान्तर्गत छतरपुर अनुमण्डल मुख्यालय तथा हरिहरगंज प्रखण्ड मुख्यालय एन0एच0 98 के किनारे अवस्थित है। एन0एच0 98 छतरपुर व हरिहरगंज के घनी आबादी क्षेत्र से गुजरता है। घनी आबादी होने के कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है तथा आये दिन दुर्घटना घटित होती रहती है। एन0एच0 98 उत्तर प्रदेश तथा बिहार से झारखण्ड आने-जाने का मुख्य मार्ग है। यदि छतरपुर व हरिहरगंज में बाईपास का निर्माण करा दिया जाय तो जाम और दुर्घटना से निजात मिल सकता है। अतः मैं पलामू जिलान्तर्गत छतरपुर व हरिहरगंज में एन0एच0 98 के बाईपास निर्माण हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते है।	पथ निर्माण
03-	श्री आलमगीर आलम स0वि0स0	साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला के बंगला भाषी मुस्लिम शेरशाहबादी जाति के है, जो पिछड़े जाति (Annexure-1) में शामिल है, जिनके खतियान में शेख दर्ज है। पूर्व में वर्णित जाति के सदस्य को पिछड़ी जाति (Annexure-1) का जाति-प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता था। वर्त्तमान में खतियान में शेख दर्ज रहने के कारण शेरशाहबादी जाति के सदस्यों को पिछड़ी जाति	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

		(Annexure-1) का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किये जाने से, वे केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले आरक्षण के लाभ से वंचित हो रहे है। अतः साहेबगंज एवं पाकुड जिला के बंगला भाषी मुस्लिम शेरशाहबादी जाति के सदस्यों के खतियान का सत्यापन पूर्वर्तित व्यवस्था की तरह स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि के अनुशंसा के आधार पर पिछड़ी जाति (Annexure-1) का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संदर्भ में आवश्यक विभागीय आदेश निर्गत करने हेतू मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	

राँची,
दिनांक– 21 जनवरी, 2017 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–ध्या0 एवं अना0प्र0–01/2017–....839...../वि0 स0, राँची, दिनांक– 20/01/17

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–ध्या0 एवं अना0प्र0–01/2017–..839..../वि0 स0, राँची, दिनांक– 20/01/17

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/–